न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 28/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

– प्रार्थी

बनाम

1. रामप्रसाद तेली पुत्र प्रभूलाल तेली मैसर्स देवनारायण डेयरी, मकान नं. आनन्द ऐसोसिटस कॉलोनी, ईरास, सुवाणा जिला भीलवाडा

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित
2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 03.11.2022

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं, कि विपक्षी रामप्रसाद तेली पुत्र प्रभूलाल तेली मैसर्स देवनारायण डेयरी, मकान नं. आनन्द ऐसोसिटस कॉलोनी, ईरास, सुवाणा जिला भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु खोहा इत्यादि का विकय कर रहा था। रामप्रसाद तेली पुत्र प्रभूलाल तेली मैसर्स देवनारायण डेयरी, मकान नं. आनन्द ऐसोसिटस कॉलोनी, ईरास, सुवाणा जिला भीलवाडा का विक्रेता एवं गवाह की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय बाबत् खोहा डीप फ्रीज में 250 किलोग्राम रखा हुआ था। मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 **ए** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र,

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है वि
विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विपक्षी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वह बाजार से दूध क्रय करव खोआ तैयार करता हैं, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं करता हैं। फिर भी पहल गलती मानते हुये माफ करावें। आगे से ध्यान रखा जावेगा। प्रार्थना हैं कि प्रकरण म कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. L.S./526/FSSA/2021/322 दिनांक 16.11.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना सं. एक्स – 1132 खोहा सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि B.R. reading of extracted fat at 40 C 46.3 पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह 40.0 से 43.0 (घी) होना चाहिये। इसी प्रकार reichert Value of Extracted Fat 13.74 पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह कम से कम 26.0 (घी) होना चाहिये। इसी प्रकार milk fat content of the finished product (on dry weight basis) 17.55% पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत यह कम से कम 30.0 प्रतिशत होना चाहिये। इस प्रकार विपक्षी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमों का उल्लघंन कर सबस्टैण्डर्ड खोहा का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया हैं। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 मे निर्धारित है।**

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 25,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक से 03 माह के अन्दर जरिये चालान जमा करा चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
2. श्री रामप्रसाद तेली पुत्र प्रभूलाल तेली मैसर्स देवनारायण डेयरी, मकान नं. आनन्द ऐसोसिटस कॉलोनी, ईरास, सुवाणा जिला भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान की प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)